

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-१६



क्रमांक एफ 3/2019-20/आरएसवी/ 2013

दिनांक 23.01.2020

कार्यालय आदेश

विद्वत्परिषद् की बैठक दिनांक 21.04.2015 की कार्यसूची संख्या 3.14 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन में दर्शन संकाय के अन्तर्गत विभागीय शोध समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक दिनांक 17.02.2020 एवं 18.02.2020 को दर्शन संकाय के कक्ष सं० (109) (शैक्षणिक सदन) में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित की जाएगी:-

- | | | |
|-----|---|---|
| ०१. | संबंधित संकाय प्रमुख. | अध्यक्ष |
| ०२. | संबंधित विभागाध्यक्ष | सदस्य एवं संयोजक |
| ०३. | संबंधित निर्देशक | सदस्य |
| ०४. | एक बाह्य विषय विशेषज्ञ
(कुलपति द्वारा नामित) | सदस्य (डॉ. सन्तोष शुक्ला, जे.एन.यू. विश्वविद्यालय, न.दि.) |
| ०५. | संबंधित विभाग के सभी शिक्षक | सदस्य |

उक्त शोध समीक्षा समिति, विभाग के शोध छात्रों की शोध की प्रगति एवं शोध गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि की समीक्षा कर, अपनी संस्तुति प्रदान करेगी। समिति विभाग के शोध छात्रों की शोध की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और विगत 6 मास के शोध कार्य की समीक्षा करेगी। विभागीय शोध समिति की समीक्षा रिपोर्ट के साथ शोध छात्र का प्रगति विवरण आवश्यक कार्यवाही एवं कुलपति की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया जायेगा।

अतः समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में यथासमय उपस्थित होने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:-

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

01. समिति के सभी सदस्य
02. प्रो. हरराम त्रिपाठी, दर्शन संकाय प्रमुख
03. विभागाध्यक्ष-(न्याय दर्शन, सर्वदर्शन, जैन दर्शन-(17-02-2020) & (सांख्ययोग, मीमांसा एवं वेदान्त विभाग 18-02-2020) का इस आशय से प्रेषित की अपने विभाग से सम्बन्ध शोध छात्रों को उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का आदेश दें।
04. सम्बद्ध विभाग के सभी शिक्षक- न्याय, सांख्ययोग, जैन दर्शन, सर्वदर्शन मीमांसा एवं वेदान्त विभाग
05. सम्बद्ध छात्रों के सूचनार्थ (न्याय, सांख्ययोग, जैन दर्शन, सर्वदर्शन मीमांसा एवं वेदान्त विभाग)
06. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव
07. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर-संगणक केंद्र (इस आशय से प्रेषित कि इस सूचना को वेबसाइट पर अंकित करें।)
08. अनुभाग अधिकारी (लेखा) को इस आशय से प्रेषित की बाह्य सदस्य को टी.ए. एवं बैठक भत्ते का भुगतान करवायें)
09. गेस्ट हाउस प्रभारी-को इस आशय से प्रेषित की उक्त में बाह्य विशेषज्ञ की भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवायें।
10. सूचना पट्ट

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)